# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : संस्था./2025/194 दिनांक 22-05-2025

## –:: आदेश ::–

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में माननीय प्रशासक महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.05.2025 के क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम, 1957 के अध्याय 16 के विनियम 13 के विद्यमान प्रावधान में संशोधन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

| विनियम | संशोधित प्रावधान |
|---|---|
| अध्याय 16 विनियम 13 (1) | **ऐसा आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में परीक्षाफल की घोषणा की दिनांक से ऐसी अवधि में जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए, अवश्य पहुँच जाना चाहिये।** |
| अध्याय 16 विनियम 13 (3) | **विलोपित किया जाता है** |
| अध्याय 16 विनियम 13 (5) | संवीक्षा (पुनर्गणना) में किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका की पुनः जाँच (Re-examination) करना समाविष्ट नहीं है। उत्तर पुस्तिकाओं पर दिये गये अंकों की जाँच इस दृष्टि से की जायेगी कि कहीं अलग–अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों को जोड़ने में त्रुटि न रह गई हो अथवा कहीं/किसी प्रश्न पर अंक देने से न रह गये हों। **परन्तु किसी विषय विशेष/विषयों की उत्तर पुस्तिका के पुनः जाँच (Re-Examination) कराये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा एवं इस सम्बन्ध में प्रक्रिया, फीस निर्धारित की जा सकेगी।** |
| अध्याय 16 विनियम 13 (8) | **विलोपित किया जाता है।** |

आज्ञा से,

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
सचिव

क्रमांक : संस्था./2025/194 दिनांक 22.05.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव प्रशासक/सचिव महो.
3. समस्त अधिकारी
4. समस्त अनुभाग अधिकारी
5. रक्षित पत्रावली
6. सूचना पट्ट

(राजेन्द्र प्रसाद पारीक)
निदेशक (प्रशासन)